न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी— संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या—74/2025

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

बनाम

—अपीलान्ट

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः— श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

निर्णय दिनांकः—19.03.2026

अपीलांट सुरेन्द्र कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन पूरबसर तहसील रावतसर द्वारा आदेश दिनांक 05.12.2017 रोही मौजा. पूरबसर तहसील रावतसर के ख.न. 375/1296 की 1.265 हैक्टर भूमि में से 0.0303 हैक्टर भूमि यानि 303 वर्गमीटर का समर्पण तहसीलदार रावतसर द्वार स्वीकर किया गया, को अपास्त करवाने बाबत अपील पेश की गई, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. समर्पण आदेश दिनांक 05.12.2017 रोही मौजा पूरबसर तहसील रावतसर के ख.नं. 375/1296 की 1.265 हैक्टर भूमि में से 0.0303 हैक्टर भूमि यानि 303 वर्गमीटर भूमि को बहक सरकार समर्पण बअदालत तहसीलदार रावतसर द्वारा स्वीकार किया गया। जो विधि की अवहेलना में एक पक्षीय तौर से किया गया है जो अपास्तनीय है।

2. मातहत अदालत के समक्ष अपीलान्ट द्वारा रोही गौजा पूरबसर तहसील रावतसर के ख.न. 375/1296 की 1.265 हैक्टर भूमि में अपने हिस्से की भूमि 165 गुणा 165 ऐरिया की भूमि में अधोगिक प्रयोजन के लिए रूपान्तरण करवाने हेतु मातहत अदालत को नक्शा व आवेदन पेश किया परन्तु मातहत अदालत ने भूमि को कन्वर्जन करने की बजाय रोही मौजा पूरबसर तहसील रावतसर के ख.नं. 375/1296 की 1.265 हैक्टर भूमि में से 0.0303 हैक्टर भूमि का समर्पण करवा लिया जबकि वाद भूमि समर्पण करने की अपीलान्ट की गई इच्छा नही थी। अपीलान्ट व उसके गवाहान को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:34 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

मुखालते मे रखकर अपीलाधीन नामान्तरण गैर कानुनी ढंग से पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

3. मातहत अदालत ने समर्पण करने से पूर्व कोई पत्रावली मुर्ति नही की केवल अपीलान्ट से 100 रूपये का स्टाम्प मंगाकर उसकी पुस्त पर ही भूमि बहक सरकार समर्पण के आदेश दिनांक 05.12.2017 को पारित कर दिये जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 55 (1) में स्पष्ट प्रोविजन है कि स्टाम्प उप पंजीयक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जबकि उक्त स्टाम्प समर्पण बाबत प्रमाणित नही था। मातहत अदालत ने उक्त कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज करके विधि की अवहेलना में अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

4. धारा 56 (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 के तहत भूमि धारी को 30 दिन पूर्व रजिस्ट्रड नोटिस भेजना होता है तथा कब्जा लेने की मौका फर्द रिपोर्ट, जो घटना बही में दर्ज की जानी होती है। उक्त कानूनी प्रक्रिया को अपनाए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो अपास्तनीय है।

5. वाद भूमि का कब्जा आज भी अपीलान्ट के पास है तथा समर्पण अपीलान्ट व गवाहन को पढ़कर नही सुनाया गया गवाहन व अपीलान्ट के मात्र साक्षर होने की वजह से हस्ताक्षर ही करवाये गये उनके सामने किस भूमि को तथा कितनी भूमि का समर्पण क्यो व किस बाबत किया गया है, कोई स्पष्ट उल्लेख नही किया गया ना ही उनको पढ़कर सुनाया गया, इसलिए अपीलाधीन आदेश अपास्तीनीय है।

6. अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.12.2017 को पारित किया गया परन्तु उक्त समर्पण आदेश दिये जाने के वक्त कोई तिथि मिति अथवा दिनांक आदेश पर दर्ज नही है तथा कोई प्रकरण संख्या व पत्रावली मुर्तिब नही की गई तथा भूमि की किस्म बाबत पटवारी हल्का से कोई रिपोर्ट भी नही मंगाई गई, इसलिए अपीलाधीन समर्पण आदेश अपास्तनीय है।

7. रोही मौजा पूरबसर तहसील रावतसर के ख.न. 375/1296 की 1.265 हैक्टर भूमि अपीलान्ट अकेले की नही थी। भूमि में सहखातेदारान की सहमति नही ली गई है सुमन पत्नि अजयसिंह 4657/12347 हिस्सा की खातेदार है, बिना सहमति के प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक काश्तकार का कब्जा है। सहखातेदार की सहमति के बिना उसकी संयुक्त खातेदारी में समर्पण गैर कानूनी है तथा अपीलाधीन आदेश विधि की अवहेलना में पारित है, जो अपास्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:34 IST
Reason: SelfAttested

8. अपीलाधीन आदेश के विषय में वाद भूमि के समर्पण हेतु रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को नही बताया था अपीलान्ट के केवल वाद भूमि उधोग प्रयोजन के लिए कन्वर्जन के कागजात चलाने की बात कही थी परन्तु अपीलान्ट की भूमि का कब्जा लेने बाबत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा पटवारी हल्का को दिनांक 29.09.2025 को भेजा गया तब पटवारी हल्का ने अपीलान्ट को वाद भूमि का अपीलाधीन आदेश पारित के तथ्य अभिकथित किये जिस पर बिना किसी देरी के अपीलान्ट ने प्रमाणित प्रति अपीलाधीन आदेश प्राप्त की तथा ज्ञान से बिना किसी देरी के अपील अपीलान्ट पेश कर रहा है, जो अन्दर मियाद है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन प्रकरण मेरीटोरियस है, जिस पर कोई मियाद अवधि लागु नही होती है, फिर भी कानूनी दृष्टि से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद है।

9. अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार की है व अन्दर मियाद है तथा मुर्करर न्याय शुल्क पर तहरीर कर प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन समर्पण आदेश दिनांक 05.12.2017 रोही मौजा पूरबसर तहसील रावतसर के ख.नं. 375/1296 की 1.265 हैक्टर भूमि में से 0.0303 हैक्टर भूमि बअदालत तहसीलदार राजस्व रावतसर अपास्त फरमाया जावे तथा वाद भूमि को पुनः अपीलान्ट के नाम मुमकिन बतौर खातेदार दर्ज किये जाने आदेश फरमाया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर से अपीलाधीन आदेश की मूल प्रति तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर के समक्ष अपीलान्ट द्वारा रोही मौजा पूरबसर तहसील रावतसर के ख.नं. 375/1296 की 1.265 हैक्टर भूमि में अपने हिस्से की भूमि 165 X 165 ऐरिया की भूमि में औधौगिक प्रयोजन के लिए भूमि रूपान्तरण करवाने हेतु तहसीलदार रावतसर को नक्शा व आवेदन पेश किया परन्तु तहसीलदार रावतसर द्वारा भूमि का कर्न्वजन करने की बजाय रोही मौजा पूरबसर तहसील रावतसर के ख.नं. 375 /1296 की 1.265 हैक्टर भूमि में से 0.0303 हैक्टर भूमि का समर्पण करवा लिया जबकि वाद भूमि समर्पण करने की अपीलान्ट की गई इच्छा नही थी। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2017 गैर कानुनी ढंग से पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया। [illegible] न्यायालय तहसीलदार रावतसर के क्रमांक रीडर/17/716 दिनांक 14.12.2017 द्वारा [illegible] मौजा ग्राम पूरबसर के ख0नं0 375/1296 की 1.265है0 भूमि में से 0.0303है0(303वर्ग मीटर) भूमि का समर्पण बहक सरकार किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:34 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:34 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट द्वारा कथन किया गया है कि तहसीलदार रावतसर द्वारा उक्त भूमि कर्न्वजन करनें की बजाय समर्पण करवा लिया लेकिन समर्पण पत्रावली के दस्तावेज पर सुरेन्द्र कुमार पुत्र साहबराम के हस्ताक्षर है एंव सुरेन्द्र कुमार पुत्र साहबराम एंव गवाह के बयान एंव हस्ताक्षर है। समर्पण आदेश दिनांक 14.12.2017 को पारित किया गया, जिसकी अपील लगभग 8 वर्ष बाद पेश की गई। समर्पण आदेश की अपीलांट को जानकारी न होना सन्देहास्पद प्रतीत होता है जबकि समस्त दस्तावेज– समर्पण पत्र, बयान, शपथ–पत्र आदि पर अपीलांट के हस्ताक्षर है, जो समर्पण आदेश की जानकारी होना साबित करता है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 19/3/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर बोहर (हनुमानगढ़)

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:34 IST
Reason: SelfAttested